

क्र0 1914 सम्पदा/भोविप्रा/2024

कार्यालय, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26/7/24 2024

रेसा पंजीयन क0-P-BPL-17-837

नवीबाग अफोर्डेबल आवासीय योजना में आधिपत्य हेतु तैयार प्रकोष्ठ नियत दर पर उपलब्ध ।

प्राधिकरण की नवीबाग अफोर्डेबल आवासीय योजना में स्थित रिक्त प्रकोष्ठों का विक्रय निम्न तालिकाओं में वर्णित होकर ऑन लाईन वेबसाईट <https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in> के माध्यम से नियत दर पर दिनांक 29-7-24 से दिनांक 12-8-24 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दिनांक 13-8-24 को खोले जायेंगे। निम्न सम्पत्तियों का विस्तृत विज्ञापन प्राधिकरण की वेबसाईट www.bda.org.in पर देखा जा सकता है।

योजना का नाम	प्रकोष्ठों/इकाईयों का विवरण तथा संख्या	प्रति प्रकोष्ठ का अनुमानित कारपेट क्षेत्रफल	आरक्षण का वर्ग तथा आरक्षित किये गये प्रकोष्ठों/इकाईयों की संख्या	प्राधिकरण द्वारा नियत कीमत रुपये प्रति प्रकोष्ठ (अनुमानित)	रजिस्ट्रीकरण प्रभार(पंजीयन राशि) रुपये	वार्षिक पट्टा भाडा (भू-भाटक) रुपये
1	2	3	4	5	6	7
नवीबाग घरीदा अफोर्डेबल योजना	2 बी.एच.के. प्रकोष्ठ	41.5 वर्गमीटर (441.69 वर्गफिट)	सामान्य (अनारक्षित)	13,00,000/-	1,30,000/-	30/-
	1 बी.एच.के. 02 प्रकोष्ठ	26.60 वर्गमीटर (286.22 वर्गफिट)	सामान्य (अनारक्षित)	5,50,000/-	55,000/-	20/-

नोट:- प्रकोष्ठों के आवेदन पत्र के साथ नियम शर्तें संलग्न रहेगी।:-

1. 1 बीएचके हेतु 3 लाख तक तथा 2 बीएचके हेतु 3 से 6 लाख तक वार्षिक आय का निर्धारित प्रारूप में स्वयं का घोषणा पत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त प्रकोष्ठ की शेष राशि जमा करने की समयावधि एवं नियम शर्तें आवंटन आदेश में वर्णित अनुसार देय/मान्य होगी।
3. निर्धारित प्रकोष्ठों की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी पद्धति से आवंटन किया जावेगा। जिसकी सूचना पंजीयनकर्ताओं को मोबाईल, एसएमएस या अन्य द्वारा दी जावेगी।
4. शासन तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम एवं शर्तें पंजीयनकर्ताओं आवंटियों को मान्य करना अनिवार्य होगा। जिसकी सूचना आवंटियों को पृथक से नहीं दी जावेगी।
5. जी0एस0टी0 की राशि नियमानुसार पृथक से देय होगी।
6. आवंटन सुनिश्चित होने के पश्चात आवंटन निरस्त कराने पर पंजीयन वापसी संबंधी कार्यवाही व्ययन नियम अनुसार की जावेगी।
7. आवंटियों का आवंटित प्रकोष्ठ की लीजडीड प्राधिकरण द्वारा तभी निष्पादित कराई जावेगी जबकी कलेक्टर कार्यालय से पंजीयन शुल्क में छूट का प्रमाण पत्र प्राधिकरण को प्राप्त होगा। छूट प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर आवंटि चाहिए तो प्राधिकरण में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर की वह बिना छूट प्राप्त किये लीजडीड निष्पादित कराने को तैयार है प्राधिकरण द्वारा इस पर विचार किया जाकर बिना छूट प्रमाण पत्र की लीजडीड निष्पादन की कार्यवाही कर सकता है।
8. प्रकोष्ठों का आवंटन यथा स्थिति में किया जावेगा। इस संबंध में बाद में कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। अतः स्थल पर निरीक्षण कर ही आवेदन प्रस्तुत करें।
9. नियमानुसार समिति शुल्क, सेवा शुल्क एवं अन्य प्रभार देय होंगे।
10. किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय भोविप्रा का निर्णय मान्य होगा।

सम्पदा अधिकारी,
भोपाल विकास प्राधिकरण,
भोपाल